



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102025-267308
CG-DL-E-31102025-267308

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4791]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 2025/ कार्तिक 9, 1947

No. 4791]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2025/ KARTIKA 9, 1947

वस्त्र मंत्रालय

[पीएसयू (सीओपी) अनुभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4946(अ).— केंद्र सरकार, रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का 57) की धारा 17 की उप-धारा (1), ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम, 1981 (1981 का 29) की धारा 6 की उप-धारा (1), स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1986 (1986 का 30) की धारा 15 की उप-धारा (1) और वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 (1995 का 39) की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राजिन्दर कुमार, आर्थिक सलाहकार को भुगतान आयुक्त के पद पर नियुक्त करती हैं और उस स्थानीय सीमा को परिभाषित करती हैं जिसके अंतर्गत उक्त भुगतान आयुक्त संपूर्ण भारत में उन्हें प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

[फा. सं. 13/1/2018/पीएसयू/(सीओपी)]

अखिलेश कुमार, उप महानिदेशक

MINISTRY OF TEXTILES**[PSU (CoP) Section]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th October, 2025

S.O. 4946(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Sick Textile Undertakings (Nationalization) Act, 1974 (57 of 1974), Sub-Section (1) of Section 6 of the British India Corporation Ltd (Acquisition of Shares) Act, 1981 (29 of 1981), Sub-Section (1) of Section 15 of the Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1986 (30 of 1986) and Sub-Section (1) of Section 17 of the Textile Undertakings (Nationalization) Act, 1995 (39 of 1995), the Central Government appoint Shri Rajinder Kumar, Economic Advisor as Commissioner of Payments and defines the local limits within which the said Commissioner of Payments shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on him, as the whole of India.

[F. No. 13/1/2018-PSU (CoP)]

AKHILESH KUMAR, Dy. Director General